छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

// अधिसूचना//

नवा रायपुर दिनांक 1 /6./2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की कंडिका–15 **"औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान"** के कंडिका 15.23 के पश्चात कंडिका – 15.24, 15.25 एवं 15.26 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे :–

15.24 *"छत्तीसगढ़ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 6 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आने पर विशेष Early Bird Incentive के रूप में उत्पादन दिनांक से एक वर्ष के उपरांत, निवेशित राशि का 1 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 2 करोड़ अनुदान दिया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।*

15.25 *"छतीसगढ राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित तथा उक्त अतिरिक्त सुविधाओं को प्राप्त करने की अवधि में स्थापित क्षमता प्रति 100 किलोलीटर प्रतिदिन के सापेक्ष में राज्य के न्यूनतम 50 नवीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। यह पुष्टि इकाई द्वारा जमा किए गए ईपीएफ एवं ईएसआई सर्टिफिकेट के आधार पर की जावेगी।*

15.26 *"छत्तीसगढ़ राज्य राज्य में बायो एथेनॉल के उत्पादन हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 की अवधि में एक स्थान पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक ही धान आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।"*

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति की परिशिष्ट–4 **"औद्योगिक नीति 2019–24 अंतर्गत संपूर्ण राज्य हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची"** के सरल क्रमांक–1 "एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस" को इस परिशिष्ट–4 से विलोपित किया जाता है।

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— Sd —
(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

608
6-6-2020

4 JUN 2020